



65/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 / 28 / 76 / एक / 2018-19
सेवा में,

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बलिया।

विषय :
महोदय,

मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	353802010021714	IFSC Code UBIN0535389	101.279

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	(धनराशि लाख रू० में) मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	बलिया	म०ब०-83	न०प० चितबडाबगांव	वार्ड नं.-01 के अंतर्गत मौ० राजेन्द्र नगर में हीरा जी तिवारी के मकान से रामलाल वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग पवर्स ब्लाक एवं आर०सी०सी० ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य।	2.300
2	बलिया	म०ब०-83	न०प० चितबडाबगांव	वार्ड नं.-04 के अंतर्गत मौ० मालवीय नगर में हाजी मुख्तार के मकान से सपहा ब्रहमबाबा के स्थान तक इण्टरलॉकिंग पवर्स ब्लाक एवं नाला निर्माण कार्य।	7.967
3	बलिया	म०ब०-83	न०प० चितबडाबगांव	वार्ड नं.-06 के अंतर्गत मौ० ब्रहमी बाबा नगर में पी०डब्ल्यू०डी० रोड से रेलवे सीमा तक रिटनिंगवाल सहित इण्टरलॉकिंग पवर्स ब्लाक एवं एल०टाईप नाली निर्माण कार्य।	8.848
4	बलिया	म०ब०-83	न०प० चितबडाबगांव	वार्ड नं.-10 के अंतर्गत मौ० अब्दुल कलाम नगर में सीता राम तेली के मकान से सुभाष गुप्ता के मकान तक इण्टरलॉकिंग पवर्स ब्लाक एवं एल०टाईप नाली निर्माण कार्य।	1.428
5	बलिया	म०ब०-83	न०प० चितबडाबगांव	वार्ड नं.-05 के अंतर्गत मौ० ब्रहमी बाबा नगर में रविदास मंदिर से नारद राय राजभर के घर तक रिटनिंगवाल सहित इण्टरलॉकिंग पवर्स ब्लाक एवं एल०टाईप नाली निर्माण कार्य।	12.260



65/12

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
6	बलिया	म०ब०-83	न०प० चितबडाबगांव	वार्ड नं.-05 के अंतर्गत मौ० ब्रहमी बाबा नगर में रामबाबू के घर से लल्लन खरवार के दक्षिण एवं उत्तर दिशा में रिटेनिंगवाल सहित इण्टरलॉकिंग पवर्स ब्लॉक एवं एल०टाईप नाली निर्माण कार्य।	9.653
7	बलिया	म०ब०-83	न०प० चितबडाबगांव	वार्ड नं.-02 के अंतर्गत मौ० सुभाष नगर में दीनानाथ सिंह के घर से वशिष्ठ लाला के घर तक इण्टरलॉकिंग पवर्स ब्लॉक एवं एल०टाईप नाली निर्माण कार्य।	2.967
8	बलिया	म०ब०-83	न०पा०५० रसडा	वार्ड नं.-01 के अंतर्गत मौ० संतरविदास नगर में रमेश मद्धेशिया के घर से लल्लन के घर तक नाली एवं सड़क निर्माण कार्य।	7.878
9	बलिया	म०ब०-83	न०पा०५० रसडा	वार्ड नं.-01 के अंतर्गत मौ० संतरविदास नगर में अमर राम के घर से रामदयाल के घर तक नाली एवं सड़क निर्माण कार्य।	3.915
10	बलिया	म०ब०-83	न०प० सिकन्दरपुर	वार्ड नं०-02 में ओ०पी० गुप्ता के घर से रनजीश के घर होते हुए दिलन राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	8.012
11	बलिया	म०ब०-83	न०प० सिकन्दरपुर	वार्ड नं०-02 में शोभावती के मकान से भगवान चौधरी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	10.792
12	बलिया	म०ब०-83	न०प० सिकन्दरपुर	वार्ड नं०-02 में ट्रांसफार्मर से मुडियारीपुर होते हुए सरल राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.298
13	बलिया	म०ब०-83	न०प० सिकन्दरपुर	वार्ड नं०-02 में रिजवान के घर से मोहित के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.940
14	बलिया	म०ब०-83	न०प० सिकन्दरपुर	वार्ड नं०-02 में गुलाब दुसाद के मकान से कदम राम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	0.489
15	बलिया	म०ब०-83	न०प० सिकन्दरपुर	वार्ड नं०-06 के नई बस्ती में हासिम के घर से अमर चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	4.199
16	बलिया	म०ब०-83	न०प० सिकन्दरपुर	वार्ड नं०-06 के नई बस्ती में अखाड़ा पर फारिका के घर से गुलाम हैदर मेन रोड डफाली तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.333
	योग				101.279

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदार्शय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक